<u>दिनांक 16-05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र–11 ग पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता इन्द्रजीत सैनी की ओर से प्रार्थना पत्र–11 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसने यह निगरानी ठोस आधारो पर दाखिल किया है तथा उसे उम्मीद है कि निगरानी स्वीकार हो जावेगी तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त हो जावेगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 03–03–2025 में निगरानीकर्ता को आदेशित किया है कि वह विवादित परिसर को निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर विवादित परिसर को खाली करके उस पर वादी को कब्जा सौंप देवे जिसके आधार पर वादी प्रत्यर्थी विवादित परिसर को खाली करने का अनावश्यक दबाव बना रहे है तथा विवादित परिसर को खाली कराने के प्रयास में लग गये है। ऐसी स्थिति में न्याय के हित में आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को निगरानी के लम्बन के दौरान विवादित परिसर से बेदखल नही करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जावे तथा साथ ही साथ आलोच्य निर्णय के प्रभाव को निगरानी के लम्बन व निस्तारण तक स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

विपक्षी संख्या–1 शकुंतला बर्नवाल की ओर से आपत्ति 23 ग मय शपथपत्र 24 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विद्वान लघुवाद न्यायाधीश के द्वारा लघुवाद संख्या–37 वर्ष 1990 अशोक कुमार बरनवाल (मृतक दौरान मुकदमा) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम हरिशंकर माली में विधि सम्मत उचित निर्णयन किया है, जिसको स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2025 को स्थगित करने हेतु जो कारण दर्शित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारों में लैण्डलार्ड व किरायेदार का सम्बन्ध रहा है और मूल वादी के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 02.12.1989 से मूल प्रतिवादी की किरायेदारी वादपत्र में वर्णित आधार पर समाप्त कर दी गयी थी उसके बाद लगभग 35 वर्ष से निगरानीकर्ता / मूल प्रकरण में प्रतिवादी प्रश्नगत किरायेदारी परिसर में अतिचारी के रूप में रह रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा सारे तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त यह सिद्ध पाया गया कि निगरानीकर्ता किरायेदारी समाप्त होने के बाद अतिचारी के रूप में रह रहा है जिसके सम्बन्ध में विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 03.03.2025 विधि सम्मत है। निगरानीकर्ता के पिता मृतक हरिशंकर माली प्रश्नगत भवन में जो कि एक लिण्टरदार कोठरी में बतौर किरायेदार रहे है, उनके किरायेदारी परिसर में संरचात्मक परिवर्तन कर दिया गया तथा उक्त परिसर में निगरानीकर्ता फूल का कारोबार करते है। निगरानीकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी डिक्री राशि अदा नहीं हुआ। निगरानीकर्ता / मूलवाद में प्रतिवादी को विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सुनवायी का अवसर प्रदत्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 व डिक्री के प्रभाव को स्थगित किये जाने के लिए कोई विधिक कारण उपलब्ध नहीं है।

निगरानीकर्ता इन्द्रजीत सैनी की ओर से प्रति उत्तर शपथपत्र–25 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता की ओर से लघुवाद न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 03.03.2025 के विरूद्ध निगरानी योजित की गयी है। निगरानीकर्ता का कथन है कि यदि निगरानी के लंबन के दौरान अवर न्यायालय के आदेश से उसे बेदखल कर दिया जाता है तो उसका निगरानी दाखिल करने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा। प्रस्तुत निगरानी में लघुवाद न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की वैधानिकता को देखा जाना है। निगरानीकर्ता/विपक्षी बतौर किरायेदार विवादित संपत्ति पर काबिज है, जिसकी निगरानी ग्राह्य कर ली गयी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 ग इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि निगरानी लंबित रहने के दौरान लघुवाद न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री/निर्णय का बेदखली के संबंध में क्रियान्वयन इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि निगरानीकर्ता बकाया किराया 26.62 रूपये एवं हर्जा इस्तेमाली 50 रूपये माहवार किरायेदारी समाप्ति के दिनांक 04.01.1990 से अन्दर 15 दिन जमा करेगा तथा भविष्य में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उसके द्वारा हर्जा इस्तेमाली जमा किया जायेगा। यदि निगरानीकर्ता के द्वारा समय सीमा में शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उपरोक्त आदेश स्वतः समाप्त माना जायेगा।

पत्रावली निगरानी की सुनवाई हेतु दिनांक 30.05.205 को पेश हो।

अपर जिला जज,
न्यायालय सं0-1, गोरखपुर।